संख्या-4/2026/I/1235698/2026/002-10-24099-59-2024

प्रेषक,

जय शंकर दुबे,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सहकारी समितियाँ एवं पंचायत लेखा परीक्षा,
उ0प्र0, लखनऊ।

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 12 फरवरी, 2026

विषय:- विभागाध्यक्ष/निदेशक के उपयोगार्थ वाहन क्रय किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-567/लेखा-2/2025-26, दिनांक 27.01.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विभागाध्यक्ष/निदेशक, सहकारी समितियाँ एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उ0प्र0 के लिये 01 अदद वाहन टोयोटा इनोवा क्रिस्टा (जी-1 एम०टी०, 7एस) क्रय किये जाने हेतु पूर्व में शासनादेश दिनांक 05.01.2026 द्वारा स्वीकृत रुपये 17,87,719.00 को संशोधित कर रुपये 18,06,463.00 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि विभागाध्यक्ष/निदेशक, सहकारी समितियाँ एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उ0प्र0 के लिये 01 अदद वाहन टोयोटा इनोवा क्रिस्टा (जी-1 एम०टी०, 7एस) को जेम पोर्टल पर उपलब्ध अपेक्षित मानक के अनुरूप क्रय किये जाने हेतु पूर्व में शासनादेश दिनांक 05.01.2026 द्वारा स्वीकृत धनराशि रुपये 17,87,719.00 के अतिरिक्त **रुपये 18,744.00 (रुपये अट्ठारह हजार सात सौ चौवालीस मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) उक्त धनराशि को व्यय करने में वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-2/2026/I/1193260/2026-001-10-24099-59-2024, दिनांक 05.01.2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये **18,744.00 (रुपये अट्ठारह हजार सात सौ चौवालीस मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-65 लेखा शीर्षक 4070008000300 (सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान) मानक मद-14 ''मोटर गाड़ियों का क्रय'' के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
जय शंकर दुबे
विशेष सचिव।

संख्या- 4/2026/I/1235698 /2026/002-10-24099-59-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
जय शंकर दुबे
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।